तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर / 2887 / 2018 / भरतपुर सरकार बनाम अर्जन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–

श्री अजीत सिंह भादू, उप राजकीय अभिभाषक

अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांकः 6–08–2024

आदेश

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीग ने अपने अभिशंषा दिनांक 15–11–2017 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार रूपवास ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर की आराजी खसरा नंबर 1136 / 7 रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रही है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी सं0 2068 से 2071 में चमरू पुत्र मूला कौम जाटव साकिन जोतरौली खातेदार विपक्षी के नाम बतौर खातेदारी दर्ज कर दी गई। आवंटन कमेटी द्वारा उक्त आराजी दिनांक 02–10–1970 को आवंटन किये जाने के काराण नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 25–03–1972 द्वारा चमरू पुत्र मूला गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ तथा नामान्तरकरण संख्या 661 से खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर / 2887 / 2018 / भरतपुर सरकार बनाम अर्जन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वर्णित श्रेणी में आने के कारण आवंटन / नियमन योग्य नहीं थी। अतः विवादित आराजी अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त करने हेतु रेफेरेंस राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया जावे। तहसीलदार की रिपोर्ट व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीग द्वारा ने अपने निर्णय दिनांक 15–11–2017 से अभिशंषा करते हुये अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज को निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया गया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार गैर मुमकिन नाला है। जिसे नियम विरूद्ध अप्रार्थी चमरू पुत्र मूला को आवंटन कर दिया गया। नियमानुसार सार्वजनिक उपयोगार्थ भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के प्रावधानों के प्रभाव से वर्जित श्रेणी की भूमि है। जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अब्दुल रहमान के प्रकरण में इस प्रकार के आवंटनों को नियम विरुद्ध मानते हुये नदी, नालों, व पानी के बहाव क्षेत्रों को मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश दिये हैं। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन नाला दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर / 2887 / 2018 / भरतपुर सरकार बनाम अर्जन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी खसरा नंबर 1136/7 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रही है। उक्त भूमि अप्रार्थी चमरू पुत्र मूला की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि आवंटन के आधार पर अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। अभिलेख से यह साबित है कि पूर्व राजस्व रिकोर्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या साबित है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के खाते में दर्ज होने से पहले राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन नाला अंकित थीं। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन नाला'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन या नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

ii) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर / 2887 / 2018 / भरतपुर सरकार बनाम अर्जन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि नदी / नाला / तालाब (river) की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 1970 के उक्त नियमों के नियम 20 द्वारा नियम 4 में शामिल भूमियों को नियमन योग्य नहीं माना है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधि विरुद्ध है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड़ अनुसार विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थी चमरू पुत्र मूला की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के खाते में आवंटन के आधार पर विवादित भूमि का किया गया इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है। परिणामतः हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किया जाता है और ग्राम जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर की आराजी खसरा नंबर 1136 / 7 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी चमरू पुत्र मूला की खातेदारी से निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि पूर्वानुसार राजकीय भूमि किस्म ''गैर मुमकिन नाला'' दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं और संबधित राजस्व रिकोर्ड से अप्रार्थी के पक्ष में किये गये समस्त इंद्राजात, नामान्तरकरण आदि विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	